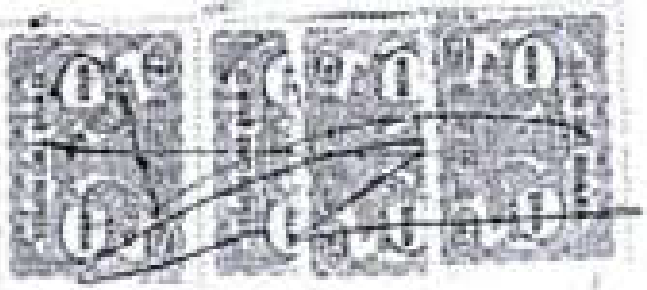

382
28.8.21

427.00

प्रतिलिपि आदेश दिनांक-21.8.2021 ई० न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर अयोध्या अन्तर्गत धारा-80 रा०सं० वाद संख्या-5445 ग्राम-... परगना-खपराभा, तहसील-मिल्कीपुर, जिला-अयोध्या उन्नानी शुक्ला ... बनाम सरकार तारीख फैसला-21.8.2021 ई०

382
28.8.21
01.9.21
01.9.21
7.00

सत्यप्रतिलिपि
प्रमाणित

(न)
28.8.21

नोट- कोई भी ... वाद ... में ... नहीं है।

मण्डल:- अयोध्या,जनपद:- अयोध्या,तहसील:- मिल्कीपुर

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 5449/2021

तपस्थली महाविद्यालय बनाम सरकार

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202104230405449

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 21/06/2021 वादसं० 72

अंतिम आदेश

प्रश्नगत वाद तपस्थली महाविद्यालय डीलीसरैया फैजाबाद द्वारा प्रबन्धक अवधेश कुमार शुक्ल पुत्र हरि शंकर शुक्ल निवासी ग्राम रामनगर अमावांसूफी, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर जिला अयोध्या द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुख्यरूप से कहा गया है कि वादी उपरोक्त पते का मूल निवासी है। वादी फसली वर्ष 1428 से 1433फ0 की खाता संख्या 469 की गाटा संख्या 3698मि0/1.068हे0 स्थित मौजा डीलीसरैया का दर्ज कागजात खतौनी सं0भू0 है। गाटा संख्या उपरोक्त में कृषि कार्य नहीं होता है। बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है तथा कक्ष निर्माण कार्य जारी है। उपरोक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने का क्षेत्राधिकार श्रीमान् जी को प्राप्त है। अन्त में उक्त रकबे को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गयी है। वाद पत्र के साथ सी0एच0 41 व 45, नजरी नक्शा, वर्तमान खतौनी की प्रतिलिपि तथा मौके का छायाचित्र दाखिल किया गया है।

पत्रावली प्राप्त होने पर तहसीलदार मिल्कीपुर अयोध्या से जांच करायी गयी। तहसीलदार मिल्कीपुर अयोध्या की जांच आख्यानुसार प्रश्नगत गाटा संख्या 3698मि0/1.068हे0 स्थित ग्राम डीली सरैया के राजस्व अभिलेखों में अयोध्या तपस्थली महाविद्यालय डीली सरैया फैजाबाद द्वारा प्रबन्धक अवधेश कुमार शुक्ल पुत्र हरि शंकर शुक्ल नि0 ग्राम रामनगर अमावांसूफी के नाम सं0भू0 अंकित है। स्थल पर उक्त गाटे मे बाउन्ड्रीवाल का निर्माण हो चुका है। महाविद्यालय का भवन निर्मित हो रहा है। स्थल पर उक्त क्षेत्रफल पर कृषिक गतिविधियां नहीं संचालित हैं। गाटे के अंकित क्षेत्रफल का कृषि से भिन्न प्रयोजन में प्रयोग हो रहा है। उक्त भूमि वाणिज्यिक रूप में प्रयोग होने के कारण श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सर्किल रेट सूची के अनुसार आगणित धनराशि 4378800रू होती है। जिसका एक प्रतिशत 43788रू. न्याय शुल्क और दो प्रतिशत के हिसाब से अकृषिक शुल्क जमायोग्य किया जाता है। अन्त में ग्राम डीलीसरैया, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, जिला अयोध्या की खाता संख्या 469 गाटा संख्या 3698मि0/1.068हे0 भूमि को अकृषिक प्रयोजन में होने के कारण उ0प्र0राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु आख्या प्राप्त हुई है।

मैंने तहसीलदार मिल्कीपुर अयोध्या की आख्या तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में सत्य प्रतिलिपि खतौनी की प्रतिलिपि व स्थल का फोटो ग्राफ दाखिल किया गया है। पत्रावली में संलग्न स्थलीय फोटो के अनुसार उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है। (कृषि बागवानी पशुपालन जिसमें मत्स्य पालन तथा कुक्कुट पालन भी शामिल है) से इतर उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में खाता संख्या 469 गाटा संख्या 3698मि0/1.068हे0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन प्रतीत नहीं हो रही है।

अतः ग्राम डीली सरैया, परगना खण्डासा, तहसील मिल्कीपुर, अयोध्या की खाता संख्या 469 गाटा संख्या 3698मि0/1.068हे0 भूमि जो तपस्थली महाविद्यालय डीली सरैया, फैजाबाद द्वारा प्रबन्धक अवधेश कुमार शुक्ल पुत्र हरि शंकर शुक्ल नि0 ग्राम रामनगर अमावांसूफी के नाम अंकित है,को धारा 80 राजस्व संहिता के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। गैर कृषिक शुल्क एवं न्याय शुल्क जमा होने के उपरान्त परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक-प्रति उपनिबन्धक मिल्कीपुर अयोध्या को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 21.06.2021

(दिग्विजय प्रताप सिंह)
उप जिलाधिकारी
मिल्कीपुर अयोध्या।

प्रमाणित